न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बइजलास श्री दिपाशु सांगवान आर.ए.एस

राजस्व वाद 62/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मोहनराम पुत्र भागीरथराम जाट निवासी खरनाल		1. बद्रीराम पुत्र रामदेव 2. पेमाराम पुत्र रामदेव 3. हरदीनराम पुत्र रामदेव 4. ओमप्रकाश पुत्र रामदेव 5. सुखराम पुत्र रामदेव 6. लिखमाराम पुत्र रामदेव 7. प्यारीदेवी पत्नि रामदेव 8. रामनिवास पुत्र भागीरथराम जति जाट निवासी खरनाल 9. शाखा प्रबंधक, नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 नागौर 10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नागौर

दावा घोषणा हक खातेदारी, बंटवाडा खेताय, व रेकर्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक 25-4-2019

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पुश्तैनी सह कब्जे काश्त व सह खातेदारी के खेताय हाल खसरा नम्बर 165 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 7 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 172 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 729 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 744 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 377 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 09 बीघा ग्राम खरनाल तहसील व जिला नागौर रहते चले आये है। उपरोक्त वादग्रस्त खेताय की खातेदारी संवत 2012 से 2022 तक स्व. भागीरथरामजी के नाम दर्ज थी।

स्व. भागीरथरामजी ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त खेताय का मौखिक रूप से बंटवारा कृषि भूमि के उपजाऊपन के आधार पर कर दिया था। उपरोक्त मौखिक परिवारिक बंटवाडे के तहत वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 729 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 744 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 377 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा ग्राम खरनाल को वादी के बंट, कब्जे काश्त में रखे गये। इसी प्रकार खेताय खसरा नम्बर 380 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 09 बीघा ग्राम खरनाल को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के पिता व पति स्व0 रामदेवजी के बंट में रखे गये तथा शेष खेताय खसरा नम्बर 165 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 171 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 172 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा ग्राम खरनाल को प्रतिवादी संख्या 8 के बंट, कब्जे

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

काश्त में रखे गये। माफिक बंट के पक्षकारों ने अपने अपने बंट आयी कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करना शुरू कर दिया तथा वर्तमान में भी काबिज काश्तकार है।

स्व. भागीरथरामजी व स्व. रामदेवजी के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 376, 377, 382, 384 व 389 ग्राम खरनाल की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज हो गयी। जबकि खसरा नम्बर 376, 377 की कृषि भूमि वादी के बंट, कब्जे काश्त की है तथा वादी ही खेताय पर खातेदार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इसी प्रकार खेताय खसरा नम्बर 165, 166, 168, 170, 171, 172, 380, 729 व 744 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, जबकि मौके पर माफिक बंट खसरा संख्या 729 व 744 पर वादी का कब्जा काश्त है तथा खसरा संख्या 165, 166, 168, 170, 171 व 172 पर प्रतिवादी संख्या 8 का कब्जा है, शेष खसरा नम्बर 380 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 काबिज है।

वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 376 व 377 की खातेदारी स्व. भागीरथरामजी व स्व. रामदेवजी के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम गलत रूप से दर्ज हो गयी जबकि मौके पर माफिक बंट के वादी ही काबिज काश्तकार है। अभी हाल ही में वादी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की आवश्यकता महसुस हुई तो वादी ने वादग्रस्त खेताय की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 376 व 377 में उसका नाम दर्ज नहीं है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का नाम दर्ज है तथा शेष खसरान में वादी का नाम प्रतिवादीसंख्या 1 से 8 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। इस पर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 से मौखिक निवेदन करने पर मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 10 से दिनांक 2.4.07 को मौखिक रूप से निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 10 ने इस संबंध में असमर्थता जाहिर करते हुए वादी को राजस्व वाद पेश करने का निर्देश दिया। जिससे वादग्रस्त खेताय की खातेदारी माफिक पारिवारिक बंटवाडे के पक्षकारों के बंट आयी कृषि भूमि के आधार पर दर्ज करवाने व राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती व घोषणा हक खातेदारी का दावा पेश करना लामी हुआ है।

बिनाय वाद बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त खेताय पुश्तैनी होने व पूर्व में खातेदारी स्व0 भागीरथरामजी के नाम दर्ज होने, स्व0 भागीरथरामजी के जीवनकाल में ही मौखिक पारिवारिक बंटवाडा होने के उपरान्त भी स्व0 भागीरथरामजी व स्व. रामदेवजी के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त खेताय की खातेदारी माफिक बंटवाडे के पक्षकारों के नाम दर्ज नहीं होने से व इस संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 से मौखिक निवेदन करने पर असमर्थता जाहिर करने व राजस्व वाद पेश करने का निर्देश देने से दिनांक 2.4.07 को बमुकाम खरनाल व नागौर उत्पन्न हुआ है।

राजस्थान राज्य भूमि धारक होने से उनके पक्षकार तहसीलदार नागौर को पक्षकार बनाकर वाद पेश किया जा रहा है।

यह है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न अनुसार डिक्री किया जावे :

1. वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 729 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 744 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्ब 377 रकबा 19

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

बीघा 12 बिस्वा ग्राम खरनाल तहसील व जिला नागौर को वादी मोहनराम के बंट व कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किया जावे।

2. वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 380 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 12 बीधा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 09 बीघा ग्राम खरनाल को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के बंट, कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किया जावे।
3. वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 165 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 07 बीधा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 03 बीधा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 05 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 172 रकबा 05 बीधा 03 बिस्वा ग्राम खरनाल तहसील व जिला नागौर को प्रतिवादी संख्या 8 के बंट, कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किया जावे।
4. माफिक डिक्री राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल नही होने की स्थिति मे वादी वकिल की ईस्तदुआ पर प्रतिवादीगण के सम्मन जरिये रजिस्ट्री से तामिल हेतु भिजवाये गये थे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के रजिस्ट्रर्ड सम्मनो पर लेने से इंकार की रिपोर्ट होने से दिनांक 24.1.12 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 व 9 व 10 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 8 की तरफ से ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया। वादी ने वाद के समर्थन मे वादी एवं गवाह रामकिशन के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.12.12 को वादी का वाद खारिज कर दिया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्व वादी ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 20/2013 पर दर्ज रजिस्टर की गयी। एवं बाद सुनवाई के माननीय नयायालय राजस्व अपील अधिकारी नगौर ने अपने निर्णय दिनांक 11.7.2017 को अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 49/2007 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.12 को खारिज कर पत्रावली इस निर्देश के साथ इस न्यायालय मे रिमाण्ड की कि दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर राजस्व रेकर्ड एवं साक्ष्य को मध्य नजर रखते हुवे गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

मामला इस न्यायालय मे रिमाण्ड होने से पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय की पालना मे शहादत सबूत हेतु अवसर प्रदान किये गये। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 के वकिल ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर कर अब अन्य कोई शहादत प्रस्तुत नही करने की इस्तादूआ की ।

वकुलाय की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान स्व. भागीरथराम जी के वारिसान है जिसकी पुष्टि वाद के पृष्ठ संख्या 2 सजरा खानदान के अनुसार साबित होती है। वादग्रस्त खेताय पक्षकारान के पुस्तैनी एवं सहखातेदारी के खेताय है। स्व. भागीरथराम ने अपने जीवनकाल मे ही वादग्रस्त खेताय का मौखिक बंटवारा कृषि भूमि के उपजाउ पन के आधार पर कर दिया था। उक्त बंटवारा वाद के पैरा 11 के उप पैरा क, ख, ग के अनुसार कर दिया एवं मौके पर इसी अनुसार काबिज एंव काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 8 ने वादी के वाद को स्वीकार किया है, एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 रजिस्ट्री सम्मन लेने से इंकार

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

हुवे है। वादग्रस्त खेताय पक्षकारान के पुश्तैनी एवं सहकब्जे काश्त के खेताय है। पूर्व निर्णय मे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह अंकित किया कि खसरा नं. 168 का रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा यानि 15 बीघा अधिक केसे दर्ज हुआ पत्रावली मे प्रस्तुत नकल खतौनी सम्वत 2063–66 ग्राम खरनाल प्रर्दश–2 मे खसरा नं. 168 का रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा पक्षकारान के सहखातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जा कर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

1. वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 729 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 744 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्ब 377 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा ग्राम खरनाल तहसील व जिला नागौर को वादी मोहनराम के बंट व कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किये जाते है।
2. वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 380 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 09 बीघा ग्राम खरनाल को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के बंट, कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किये जाते है।
3. वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 165 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 172 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा ग्राम खरनाल तहसील व जिला नागौर को प्रतिवादी संख्या 8 के बंट, कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किये जाते है।

खातेदार मोहन, रामनिवास पुत्रगण भागीरथराम का 2/3 हिस्सा राहिन नागौर सहकारी भूमि विकास बैक लि. नागौर के नाम यथावत रहेगा, अगर उक्त खातेदारान ने ऋण जमा करवा दिया है तो प्राप्ति रसीद प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करावे।

इसी अनुसार डिक्री परचा जारी हो।

नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय आज दिनांक 25-04-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

.(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर**

व इजलास दिपांशु सांगवान आर.ए.एस.

राजस्व वाद 62/2017

वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

गोहनराम पुत्र भागीरथराम जाट
निवासी खरनाल

प्रतिवादीगण

1. बद्रीराम पुत्र रामदेव
2. पेमाराम पुत्र रामदेव
3. हरदीनराम पुत्र रामदेव
4. ओमप्रकाश पुत्र रामदेव
5. सुखराम पुत्र रामदेव
6. लिखमाराम पुत्र रामदेव
7. प्यारीदेवी पत्नि रामदेव
8. रामनिवास पुत्र भागीरथराम जति जाट निवासी खरनाल
9. शाखा प्रबंधक, नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 नागौर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नागौर

राजस्व वाद संख्या 62/2017

यह मुकदमा आज वास्तें इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी ——मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदई ब मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादग्रस्त खेताय खसरा नम्ब्र 729 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 744 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्ब 377 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा ग्राम खरनाल तहसील व जिला नागौर को वादी गोहनराम के बंट व कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किये जाते है। वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 380 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 09 बीघा ग्राम खरनाल को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के बंट, कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किये जाते है। वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 165 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 172 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा ग्राम खरनाल तहसील व जिला नागौर को प्रतिवादी संख्या 8 के बंट, कब्जे काश्त व खातेदारी के घोषित किये जाते है। तथा खातेदार गोहन, रामनिवास पुत्रगण भागीरथराम का 2/3 हिस्सा राहिन नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. नागौरके नाम यथावत रहेगा। अगर उक्त खातेदारान ने ऋण जमा करवा दिया है तो प्राप्ति रसीद प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करावे। बीज ——मुबलिग ——बाबत—— खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ——फीसदी सालाना आज की तारीक व तारीक वसुलवाबी तक———को अदा करे। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25-4-19 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

गुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	–	–	स्टाम्प वकालात नामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महनताना वकील पर	–	–
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–		–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नही तो तय करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर